

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी के ज्ञापक(कॉलम 4 में वर्णित) से 05 श्रमिकों के स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत आश्रितों को ₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)प्रति कामगार की दर से भुगतान हेतु ₹ 150000/- (एक लाख पचास हजार रूपए)मात्र अनुदान की स्वीकृतोपरान्त राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र. सं.	मृतक/दावेदार का नाम, उम्र, पिता/पति का नाम, कोटि	आश्रित का नाम( संबंध )	जिलाधिकारी/ श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक	पता	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ.एस.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/ निःशक्तता का ख्यौरा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व० मो० मोहसीन मो० उमरूल, सामान्य	श्रीमती नुरिया खतुन(पत्नी)	865/21.8.18	ग्रा०+पो०-कन्हवा, था०-बेला, प्र०-परिहार, सीतामढ़ी	357606213 21	भारतीय स्टेट बैंक, SBIN0008172	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु . खेतिहर मजदूर व्यवसाय में कामगार मजदूर
2	स्व० रामनारायण ठाकुर, स्व० घनेश्वर ठाकुर, पि० वर्ग	श्रीमती जिलेविया देवी(पत्नी)	866/21.8.18	ग्रा०-कंधरिया, पो०-पकटोला, था०+प्र०-डुमरा, सीतामढ़ी	443910110 012916	बैंक ऑफ इंडिया, BKID0004439	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु . बर्द्धगति व्यवसाय में कामगार मजदूर
3	स्व० राजेन्द्र प्रसाद, स्व० खोना साह, अ० पि० जाति	श्रीमती कृष्णा देवी(पत्नी)	867/21.8.18	ग्रा०+पो०-मधुवन, प्र०-डुमरा, था०+जि०-सीतामढ़ी	443910110 007922	बैंक ऑफ इंडिया, BKID0004439	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु . खेत एवं बाजार में मजदूरी में कामगार मजदूर
4	स्व० सोगारथ राय, श्री ज्ञानी राय, सामान्य	श्रीमती सोमनी देवी(पत्नी)	797/4.8.18	ग्रा०-सोनौल सुब्बा, था०-मेजरगंज, प्र०-सुप्पी, सीतामढ़ी	315238784 4	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, CBIN0282427	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु . दूध मजदूर व्यवसाय में कामगार मजदूर
5	स्व० प्रसाद दास, स्व० राम चरण दास, अ० पि० वर्ग	श्रीमती सिहासनी देवी(पत्नी)	796/4.8.18	ग्रा०-सोनौल सुब्बा, था०-मेजरगंज, प्र०-सुप्पी, सीतामढ़ी	315310142 4	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, CBIN0282427	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु . खेतिहर मजदूर व्यवसाय में कामगार मजदूर

कुल :- ₹ 150000/-

(एक लाख पचास हजार रूपए मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8)का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव पर सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति-सह-प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना का संचिका सं० श्रम क० सं०-42/2018 के पृष्ठ-10/टि० पर अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-  
(अजय कुमार सिंह)  
लिपिक

ह०/-  
(डा० गणेश कुमार झा)  
मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-  
(गोपाल मीणा)  
कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० स०-42/2018

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अंतरित करना

सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे।

ह0/-

(अजय कुमार सिंह)

लिपिक

ह0/-

(डा0 गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह0/-

(गोपाल मीणा)

कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० स०-42/2018-448

पटना, दिनांक :- 20-09-18

प्रतिलिपि :- सचिव, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उक्त लाभुकों को बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत संचालित योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाए/ लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि ₹ 150000/- (एक लाख पचास हजार रूपए) का बैंक से अंतरण के पश्चात लेख संधारण करना सुनिश्चित करेंगे/ श्रम अधीक्षक, सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/ जिला पदाधिकारी सीतामढ़ी को उनके ज्ञापांक 796, 797 दिनांक 4.8.18, 865, 866, 867 दिनांक 21.8.18 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित/ आई0टी मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/ प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित/ माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

3/6/25  
19.09.18

(अजय कुमार सिंह)

लिपिक

Gur  
19/09/18

(डा0 गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

20/09/18

(गोपाल मीणा)

कार्यकारी निदेशक।